कार्यालय कलेक्टर बैतूल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

प्र0क0 06 अ–82/14–15/भू–अर्जन /1752 बैतूल दिनांक 26 फरवरी 2016

घोषणा

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में बर्णित भूमि का अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नानुसार भूमि का उक्त प्रयोजन के लिए आवयश्यकता है ।

अनुसूची

1– भूमि का वर्णन

क.	जिला	–	बैतूल
ख.	तहसील	–	बैतूल
ग.	ग्राम	–	जावरा
घ.	पटवारी हल्का नम्बर	–	69
ड.	लगभग क्षेत्रफल	–	1.848 हे0

खसरा नं0	रकबा (हे0में)	खसरा नं0	रकबा (हे0में)	खसरा नं0	रकबा (हे0में)
291/1	0.062	291/2	0.062	292/1	0.101
412/1	0.042	954/1	0.030	954/2	0.045
292/2	0.053	292/3	0.022	411/1	0.016
953/1	0.162	411/2	0.012	953/2	0.090
412/2	0.045	412/3	0.046	412/5	0.025
954/4	0.029	412/4	0.230	946	0.003
947	0.218	949	0.116	950	0.060
954/3	0.029	955	0.210	975	0.095
977	0.045				

कुल रकबा 1.848 हे0

2– सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है :– अपर जावरा जलाशय के स्पिल चेनल हेतु मौजा जावरा तहसील बैतूल की निजी भूमि का अर्जन

3– चूंकि अपर जावरा जलाशय के स्पील चेनल हेतु मौजा जावरा के हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि का अर्जन प्रस्तावित है, किन्तु मौके पर सुनवाई के दौरान कोई आपत्ति न होना बताया गया है तथा उनके विस्थापन एवं पुनर्वास नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

.....2

4— भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर कार्यालय की भू—अर्जन शाखा एवं अनुविभागीय अधिकारी बैतूल के न्यायालय में किया जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के
नाम से तथा आदेशानुसार,

(ज्ञानेश्वर बी0 पाटील)
कलेक्टर बैतूल एवं समुचित सरकार
मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग

पृ0क्र0 06 अ—82/14—15 / भू—अर्जन / 1752 बैतूल दिनांक 26 फरवरी 2016
प्रतिलिपिः—

1— उपनियंत्रक, शासकीय मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री केन्द्रीय मुद्रणालय, म0प्र0 भोपाल की ओर म0प्र0 राजपत्र भाग एक में प्रकाशनार्थ अग्रेषित।

2— संचालक, जनसम्पर्क संचालनालय, विज्ञापन शाखा बानगंगा चौराह के पास, भोपाल को सूचनार्थ (पांच प्रतियों में) अग्रेषित। कृपया उक्त अधिसूचना का प्रकाशन दो दैनिक समाचार पत्रों में कर इस कार्यालय को अवगत कराने तथा समाचार पत्रों की प्रतियां भी भेजने का कष्ट करें।

3— कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग बैतूल सूचनार्थ अग्रेषित। अधिसूचना का प्रकाशन कार्यालयीन सूचना पटल पर करवाया जाकर पालन प्रतिवेदन तथा प्रकाशन की पेपर प्रतियां एक माह के भीतर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

4— प्रभारी एन आई सी सेन्टर बैतूल की ओर समूचित सरकार की वेबसाईट www betul.nic.in पर अपलोड किए जाने हेतु अग्रेषित ।

5— प्रभारी अधिकारी (नजारत शाखा) कलेक्टर कार्यालय बैतूल की ओर (दो प्रतियों में) अग्रेषित। एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाएं तथा एक प्रति में पालन प्रतिवेदन 15 दिवस के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

6— अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बैतूल ,की ओर (दो प्रतियों में) अग्रेषित। एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाएं तथा एक प्रति में पालन प्रतिवेदन 15 दिवस के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

7— तहसीलदार बैतूल की ओर (तीन प्रतियों में) में अग्रेषित । एक प्रति तहसील कार्यालय में तथा एक प्रति अर्जन हेतु प्रस्तावित स्थल पर चस्पा करावे एवं एक प्रति में पालन प्रतिवेदन 15 दिवस के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

8— जिला जनसम्पर्क अधिकारी, बैतूल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित । प्रकाशित विज्ञापन की प्रति कलेक्टर (भू—अर्जन शाखा) बैतूल को उपलब्ध करावें।

9— सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत जावरा तहसील बैतूल जिला बैतूल (म0प्र0) की ओर उक्त प्रकाशन ग्राम पंचायत के सूचना पटल पर करवाने हेतु अग्रेषित।

कलेक्टर बैतूल एवं समुचित सरकार
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग